कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-विकास), मध्यप्रदेश

प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल – 462004

दूरभाष -0755,2674216, फैक्स 2674339 ई-मेल apccfdev@mpforest.org

क्रमांक / एफ-/1114 भोपाल दिनांक 30.04.2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय, वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश

विषय :- विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव एवं पुनरोत्पादन कार्यों में गुणात्मक परिणाम लाने बावत् |

वन विभाग का मुख्य दायित्व वन वन्यप्राणियों का संरक्षक एवं विकास है | विभाग की पारम्परिक कार्य पद्धति वानिकी कार्यों पर केन्द्रित रही है | विगत कुछ समय से वन अधिकारीयों / कर्मचारियों, विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की कार्यप्रणाली विभाग के मूल दायित्व से विमुख होती प्रतीत हो रही है जो उचित नहीं है | हमें अपनी गतिविधियों को पुनः विभाग के मुख दायित्व पर केन्द्रित करना है | कार्यप्रणाली में बदलाव लाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी |

2/- कार्य आयोजना क्रियान्वयन के तहत वन क्षत्रों में वृक्षारोपण, विदोहित किये गये एवं विदोहित नहीं किये गये विभिन्न कार्य वृत्तों के वन क्षेत्रों में पुनरोत्पादन कार्यों का संपादन प्रत्येक वर्ष किया जाता है | वृक्षारोपण का सामयिक मूल्यांकन किया जा रहा है परन्तु पुनरोत्पादन कार्यों का न तो मूल्यांकन किया जा रहा है और न ही पर्याप्त अभिलेखीकरण (Documentation) |

3/- विभागीय कार्यप्रणाली को मुख्य दायित्वों के प्रति केन्द्रित करने के लिए हमें अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव (re-orientation) लाकर अपने प्रतिबद्ध प्रयासों (Committed efforts) से विभिन्न गतिविधियों को परिणाम मूलक (Result oriented) बनाना है | इस संकल्पना सी.आर.आर. को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता हैं :-

1. प्रतिबद्ध प्रयास (Committed efforts) समस्त वानिकी कार्यों का प्रतिबध्ता से संपादन |
2. रिओरिएंटेशन (Re-orientation) वर्तमान कार्यप्रणाली को विभाग के मुख्य दायित्वों के प्रति दायित्वों के प्रति केन्द्रित करने का बदलाव |
3. परिणाम (Result) :- विभिन्न वानिकी कार्यों से सुनिश्चित गुणात्मक परिणामों को प्राप्त करना |
4. उपरोक्त पैरा 3 में अंकित CCR संकल्पना (concept) को अपनाते हुये विभाग को कार्य प्रणाली में बदलाव (Change) लाने हेतु माह अप्रैल / मई में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें :-
   1.परिक्षेत्र स्तरीय बैठक :- परिक्षेत्र स्तर पर बैठकें आयोजित की जाय | इन बैठकों में बीटगार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्राधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी उपस्थित रहेंगें | यह बैठक वनमंडलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय द्वारा ली जावेगी | इन बैठकों में विभाग की विगत 20-25 वर्षों की पारंपरिक कार्यप्रणाली एवं CRR कॉनसेप्ट का समझाइश दिया जाकर विभिन्न वानिकी कार्यों से मौके पर परिणाम प्राप्त करने संबंधी विषयों पर समझाइश दी जाकर क्षेत्रीय अमले को इस हेतु तैयार किया जावे |

2. वन सुरक्षा समिति / ग्राम वन समिति की बैठक :- वनमंडलाधिकारी / उप वनमंडलाधिकारी वन समितियों की बैठक आयोजित कर वनों की सुरक्षा, वृक्षारोपण एवं विभिन्न कूपों में किये जा रहे पुनरुत्पादन कार्यों के परिणाम प्राप्त करने हेतु उन क्षेत्रों में चराई नियंत्रण / अग्नि सुरक्षा एवं अवैध कटाई इत्यादि विषयों पर चर्चा कर ग्रामीण समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जावे |

3. परिक्षेत्र / उप वनमंडल स्तरीय चरवाहों की बैठक लिया जाकर वृक्षारोपण क्षेत्रों / पुनरूत्पादन कार्यों के कूपों में चराई न हो इस हेतु समझाईश देकर उनका सहयोग प्राप्त किया जावे |

   5/उपरोक्त पैरा 3 एवं 4 अंकित कार्यवाहियों से वन अमले को तैयार करने एवं वनान्चलों में ग्रामीण समुदाय से सहयोग प्राप्त करने से वृक्षारोपण एवं विभिन्न कूपों में किये जा रहे पुनरुत्पादन कार्यों से गुणात्मक परिणाम प्राप्त होंगें | उपरोक्तानुसार बैठकें आयोजित कर एवं कूपों का निरीक्षण कर प्रत्येक कूप में पुनरोत्पादन कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावेगी | प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पुनरोत्पादन कार्य की वर्तमान स्थिति बेंचमार्क रहेगी एवं प्रोजेक्ट अवधि पूर्ण होने पर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली पुनरोत्पादन की स्थिति प्रोजेक्ट का लक्ष्य एवं अपेक्षित परिणाम रहेगा |

   6/- वृक्षारोपण कार्यों का वृक्षारोपण जरनल में अभिलेखीकरण का कार्य किया जाता है किन्तु कूपों में पुनरोत्पादन कार्यों से प्राप्त होने वाले परिणामों का उचित अभिलेखीकरण वर्तमान में प्रचलित नहीं है | अतः इस हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

   1. समस्त पुनरोत्पादन कार्यों के प्रत्येक कूप के लिए एक पंजी का संधारण किया जावे |
   2. विभिन्न कार्य वृत्तों के, वर्ष में कार्य किये जाने वाले कूपों में प्रत्येक का प्रथमतः सीमांकन का कार्य किया जावे |
   3. सीमांकन के उपरांत कूप की सीमा के सबसे बाहरी बिन्दुओ के Latitude एवं Longitude लेकर पंजी में अंकित किये जावेंगे |
   4. प्रत्येक कूप के क्षेत्र में 20X20 मी. के 05 सेम्पल प्लाट (संलग्न अनुसार) ग्रीड डालकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं मध्य दिशाओं में डाला जावे | यह सेम्पल प्लाट स्थाई प्रकृति के होंगे जो सीमांकित किया जाकर पूरे प्रोजेक्ट अवधि तक संधारित किया जावेगा |
   5. 20X20 मी.के सेम्पल प्लाट के केंद्र बिन्दु का Latitude एवं Longitude लिया जावेगा |
   6. प्रत्येक सेम्पल प्लाट में स्थित 20 से.मी. के ऊपर एवं 20 से.मी. के नीचे के वृक्ष / पौधों की पूर्ण गणना कर, पंजी में प्रविष्टी किया जावे | यह कार्य प्रत्येक वर्ष में दो बार माह अक्टूबर एवं मई में सम्पूर्ण प्रोजेक्ट अवधि के लिए किया जावेगा |
   7. समस्त सेम्पल प्लाट के केंद्र बिन्दु के छायाचित्र प्रत्येक वर्ष दो बार माह अक्टूबर एवं मई में सम्पूर्ण प्रोजेक्ट अवधि के लिए किया जावेगा |
   8. कूप के मानचित्र (Shape file) को गूगल अर्थ पर डाल कर कूप के शस्य का चित्र प्रत्येक वर्ष माह अक्टूबर एवं मई में प्राप्त किया जावेगा |
   9. गणना के समय प्रत्येक सेम्पल प्लाट में 2X2 मी.के 5 क्वाड्रेट में (संलग्न अनुसार) कार्य आयोजना में प्रचलित प्रथा अनुसार पुनरोत्पादन सर्वे कराया जाकर उसका अभिलेख सधारित किया जावेगा |
   10. पुनरोत्पादन कूपों की सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सलाह एवं सहयोग से की जावेगी | उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार CPT / CPW बागड़ बनाई जावेगी |

   7/- उपरोक्त पैरा 6 में अंकित कार्यवाहियां समस्त पुनरुत्पादन कूपों में किये जा रहे कार्यों के लिए अनिवार्य होगी, ताकि सम्पादित कार्यों से प्राप्त होने वाले परिणामों का यह अभिलेखीकरण होगा एवं प्रत्येक वर्ष में कूप में किये गये कार्यों से क्या परिणाम प्राप्त हुये है एवं प्रोजेक्ट अवधि के अंत में क्षेत्र

में किस प्रकार के वृक्षों / पौधों एवं घनत्व का तुलनात्मक परिवर्तन हुये हैं, इसका इस अभिलेखीकरण से पता चल सकेगा | यह अभिलेख कक्ष इतिहास (कम्पार्टमेंट हिस्टरी) में जोड़ा जायेगा | प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय द्वारा समस्त पुनरोत्पादन कूपों के सेम्पल प्लाट के गणना पत्रकों/गूगल मानचित्र/छायाचित्रों/पुनरोत्पादन सर्वेक्षण पत्रकों का विश्लेषण किया जाकर अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा | मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय अपने स्तर पर वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेंगें एवं यदि किसी कूप में पुनरोत्पादन एवं शस्य के विकास की प्रगति प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं है तो वे इसके कारणों का पता लगा कर प्रोजेक्ट में तदनुसार सुधार करेंगे एवं विकास शाखा को अवगत करायेंगे |

पुनरोत्पादन कार्यों का समस्त स्तरों पर निरिक्षण पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार होना सुनिश्चित कराना क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी का दायित्व होगा | पुनरोत्पादन कार्यों का क्रियान्वयन एवं उसके परिणाम क्षेत्रीय प्रभार में पदस्थ भारतीय वन सेवा / राज्य वन सेवा, अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से लक्ष्यों में रखे जावेंगे |

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के कार्य आयोजना क्रियान्वयन के एक्शन प्लान तैयारी से सम्बंधित बैठकों में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा विस्तृत चर्चा किया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं |

उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने, विभाग के मूल उददेशों को प्राप्त करने एवं जो भी धन राशि विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों में व्यय की जा रही है उससे वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाहियां प्रतिबद्ध तरीके से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे |

( नरेन्द्र कुमार )
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक / विकास / 1115 दिनांक – 30-04-2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसन्धान विस्तार एवं लोकवानिकी तथा संयुक्त वन प्रबंध / वन विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, मध्यप्रदेश भोपाल
4. विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा, मध्यप्रदेश भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश भोपाल
6. विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय भोपाल
8. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना आंचलिक म.प्र.
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक, अनुसन्धान विस्तार वृत्त, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
म.प्र. भोपाल

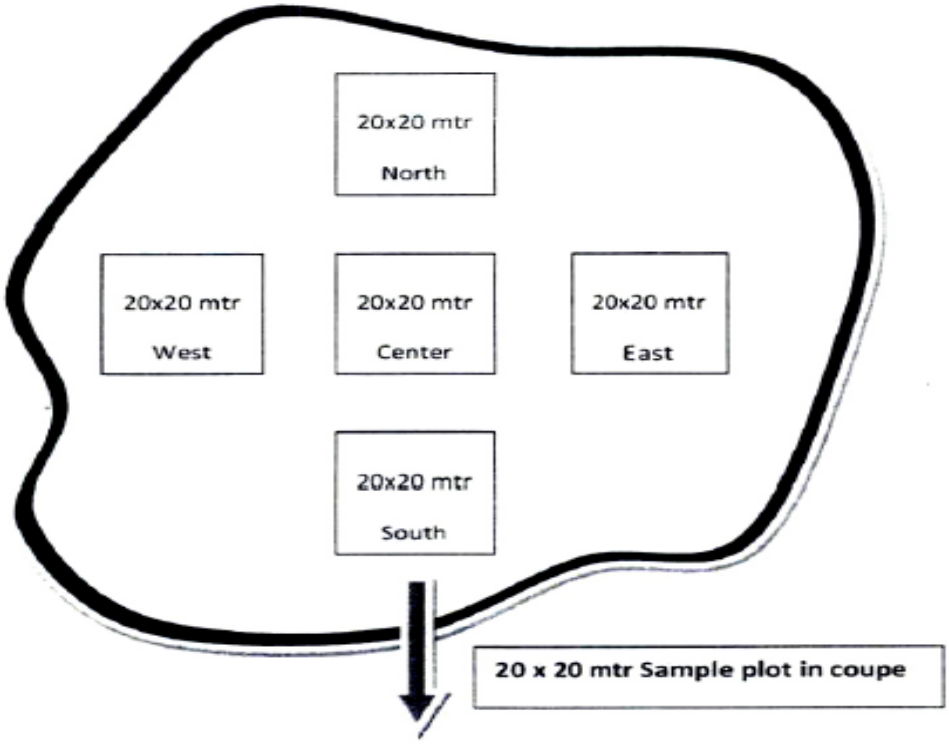


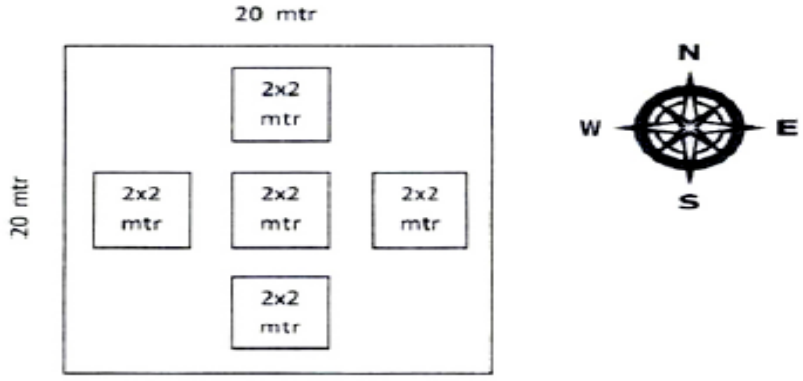


**2x2 mtr. Regeneration Survey quadrants in a sample plot.**